



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-क

वर्ष ९, अंक १०]

मंगळवार, जानेवारी ३१, २०२३/माघ ११, शके १९४४

[पृष्ठे ५, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक १४

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर)
वैधानिक नियम व आदेश; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क),
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील
इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो.

**OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER,
MAHARASHTRA STATE**

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk,
Mantralaya, Mumbai 400 032, Dated 31st January 2023.

NOTIFICATION

No. BYE-2023/C.R.91/23/XXXIII.—In pursuance of sub-section (1) of sections 150 and sections 30 and 56 of the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951), the following are published for General Information :—

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road,

New Delhi 110 001, dated the 31st January, 2023
11 Magha, 1944 (Saka)**NOTIFICATION**

No. 100/MH-LA/1/2023.—WHEREAS, the seat of Jagtap Laxman Pandurang, in the Legislative Assembly of the State of Maharashtra, elected from 205-Chinchwad Assembly Constituency, has become vacant on 3rd January, 2023, by reason of his death; and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of sub-section (1) of section 150, and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby—

(A) calls upon the said 205-Chinchwad Assembly Constituency in the State of Maharashtra, to elect, before the 4th March, 2023 (Saturday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) appoints, with respect to the said election—

(a) the 7th February, 2023 (Tuesday), as the last date for making nominations;

(b) the 8th February, 2023 (Wednesday), as the date for the scrutiny of nominations;

(c) the 10th February, 2023 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 26th February, 2023 (Sunday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken;

(e) the 4th March, 2023 (Saturday), as the date before which the election shall be completed; and

(C) fixes the hours from 7-00 A.M. to 6-00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

S. K. DAS,

Secretary to the Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड,

नई दिल्ली 110 001, तारीख 31 जनवरी, 2023
11 माघ, 1944 (शक)

अधिसूचना

सं. 100 / महा.-वि.स./1/2023.—यतः, महाराष्ट्र राज्य की विधान सभा में 205-चिंचवड विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र-से निर्वाचित जगताप लक्ष्मण पांडुरंग का स्थान, उनकी मृत्यु होने के कारण 3 जनवरी, 2023 को रिक्त हो गया है; और

2. यतः, इस प्रकार उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के उद्देश्य से उप-निर्वाचन कराया जाना है;

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उप-धारा (1), तथा धारा 30 और 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा—

(अ) महाराष्ट्र राज्य में उक्त 205-चिंचवड विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि वे 4 मार्च, 2023 (शनिवार) से पूर्व तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार राज्य की विधान सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करें;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में —

(क) नाम-निर्देशन करने की अन्तिम तारीख	7 फरवरी, 2023	(मंगलवार)
(ख) नाम-निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	8 फरवरी, 2023	(बुधवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	10 फरवरी, 2023	(शुक्रवार)
(घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा	26 फरवरी, 2023	(रविवार)
(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	4 मार्च, 2023	(शनिवार)

नियत करता है; और

(इ) 7-00 बजे पूर्वाह्न से 6-00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए ऊपर विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा ।

आदेश से,

एस. के. दास,

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road,

New Delhi 110 001, dated the 31st January, 2023
11 Magha, 1944 (Saka)**NOTIFICATION**

No. 100/MH-LA/2/2023.—WHEREAS, the seat of Mukta Shailesh Tilak, in the Legislative Assembly of the State of Maharashtra, elected from 215 - Kasba Peth Assembly Constituency, has become vacant on 22nd December, 2022, by reason of her death; and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of sub-section (1) of section 150, and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby—

(A) calls upon the said 215 —Kasba Peth Assembly Constituency in the State of Maharashtra, to elect, before the 4th March, 2023 (Saturday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) appoints, with respect to the said election—

(a) the 7th February, 2023 (Tuesday), as the last date for making nominations;

(b) the 8th February, 2023 (Wednesday), as the date for the scrutiny of nominations;

(c) the 10th February, 2023 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 26th February, 2023 (Sunday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken;

(e) the 4th March, 2023 (Saturday), as the date before which the election shall be completed; and

(C) fixes the hours from 7-00 A.M. to 6-00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

S. K. DAS,
Secretary to the Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड,

नई दिल्ली 110 001, तारीख 31 जनवरी, 2023
11 माघ, 1944 (शक)

अधिसूचना

सं. 100/महा.-वि.स./2/2023.—यतः महाराष्ट्र राज्य की विधान सभा में 215-कसबा पेट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित मुक्ता शैलेश टिलक का स्थान, उनकी मृत्यु होने के कारण 22 दिसम्बर, 2022 को रिक्त हो गया है; और

2. यतः, इस प्रकार उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के उद्देश्य से उप-निर्वाचन कराया जाना है;

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उप-धारा (1), तथा धारा 30 और 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा —

(अ) महाराष्ट्र राज्य में उक्त 215 कसबा पेट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि वे 4 मार्च, 2023 (शनिवार) से पूर्व तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार राज्य की विधान सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करें;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में —

(क) नाम-निर्देशन करने की अन्तिम तारीख	7 फरवरी, 2023	(मंगलवार)
(ख) नाम-निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	8 फरवरी, 2023	(बुधवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	10 फरवरी, 2023	(शुक्रवार)
(घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा	26 फरवरी, 2023	(रविवार)
(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	4 मार्च, 2023	(शनिवार)

नियत करता है; और

(इ) 7-00 बजे पूर्वाह्न से 6-00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए ऊपर विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा ।

आदेश से,

एस. के. दास,

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग.

M. R. PARKAR,
Deputy Secretary and Joint Chief Electoral Officer,
Maharashtra State.

क्रमांक बीवायई-२०२३/प्र.क्र.९१/२३/३३,

सामान्य प्रशासन विभाग

मादाम कामा रोड,

हुतात्मा राजगुरू चौक,

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.

दिनांक : ३१ जानेवारी, २०२३.

प्रत, माहिती व योग्य कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :-

- (१) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई.
- (२) जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, पुणे.
- (३) उप जिल्हाधिकारी व उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी, पुणे.
- (४) निवडणूक निर्णय अधिकारी (२०५-चिंचवड व २१५-कसबा पेठ विधानसभा मतदारसंघ).
- (५) निवडनस्ती.

म. रा. पारकर,
उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी,
महाराष्ट्र राज्य.